भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1792

जिसका उत्तर मंगलवार, 5 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947, (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का उत्पादन और आयात

1792. श्री एस.कल्याणसुन्दरम:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक, देश में उर्वरक का वर्ष-वार कुल उत्पादन कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2019 से आयात किए जा रहे उर्वरकों का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निर्धारित मानदंड और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक देश में उर्वरकों के कुल उत्पादन का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक उर्वरकों का कुल उत्पादन
(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	**कुल उत्पादन**
2019-20	425.95
2020-21	433.68
2021-22	435.95
2022-23	485.29
2023-24	503.35
2024-25	517.90
2025-26 (जून, 2025 तक)	120.63

(ख): वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक आयातित उर्वरकों की वर्ष-वार मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) तक उर्वरकों का आयात

(आंकड़े एलएमटी में)

वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एमओपी**	**एनपीके**
2019-20	91.23	48.70	36.70	7.46
2020-21	98.28	48.82	42.27	13.90
2021-22	91.36	54.62	24.60	11.70
2022-23	75.80	65.83	18.66	27.52
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
2025-26 (जून, 2025 तक)	8.38	9.74	2.65	9.54

(ग): उर्वरकों की गुणवत्ता उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत शासित होती है। आदेश के खंड 19 में उन उर्वरकों की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। राज्य सरकारें वास्तविक प्रवर्तन एजेंसी हैं और एफसीओ, 1985 के उपबंधों को लागू करने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

****